

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
(आर्थिक एवं सांख्यिकी-भामाशाह योजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक: एफ17(1)2/भामाशाह/बजट/डीईएस/2014/पार्ट II/I/53890 दिनांक: 19.07.2016

आज्ञा

भामाशाह योजना-2014 के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ब्लॉकों में समस्या समाधान शिविरों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय करने के लिए निम्नानुसार राज्य के सभी जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि आवंटित करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल की ओर से एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	बजट मद 3454-02-203-(02)-[01]-29-प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (आयोजना) (राशि रुपये में)
1	2	3
1	AJMER	135000
2	ALWAR	210000
3	BANSWARA	565000
4	BARAN	105000
5	BARMER	390000
6	BHARATPUR	150000
7	BHILWARA	220000
8	BIKANER	105000
9	BUNDI	75000
10	CHITTORGARH	165000
11	CHURU	120000
12	DAUSA	90000
13	DHOLPUR	75000
14	DUNGARPUR	150000
15	GANGANAGAR	135000
16	HANUMANGARH	105000
17	JAIPUR	225000
18	JAISALEMR	45000
19	JALORE	120000
20	JHALAWAR	120000
21	JHUNJHUNU	120000
22	JODHPUR	440000
23	KAURALI	90000
24	KOTA	75000
25	NAGPUR	210000
26	PALI	150000
27	PRATAPGARH	75000
28	RAJSAMAND	105000
29	SAWAI MADHOPUR	90000

[Handwritten Signature]

30	SIKAR	135000
31	SIROHI	75000
32	TONK	90000
33	UDAIPUR	255000
	TOTAL	5215000

उक्त व्यय लेखा मद 3454-02-203-(02)-[01]-29-प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (आयोजना) से प्रभार्य होगा।


उक्त आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आहरण एवं वितरण के अधिकार वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे। उक्त राशि का व्यय मुख्य सचिव, महोदय के द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 29279 दिनांक 18.07.2014, क्रमांक 32125-225 दिनांक 06.08.2014 एवं परिपत्र क्रमांक 1631 दिनांक 12.01.2015 के अध्याधीन किया जा सकेगा तथा भविष्य में जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

इस राशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा :-

1. आवंटित राशि का उपयोग लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम 2013 एवं ततसंबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. आवंटित राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक गतिविधि का क्रियान्वयन भामाशाह नामांकन शिविरों के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
3. जिस गतिविधि के लिए राशि आवंटित की जा रही है, उसी गतिविधि पर राशि का व्यय किया जाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन अपेक्षित होने पर संयुक्त निदेशक भामाशाह प्रकोष्ठ से सम्पर्क किया जा सकता है।
4. आवंटित राशि के गतिविधिवार/लेखा शीर्षवार लेखे एवं बजट नियंत्रण पंजिका संधारित की जावे।
5. राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम-नियामक एवं स्थापित प्रक्रिया तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावे।

यह स्वीकृति पत्रावली पर वित्त विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. संख्या 161600880 दिनांक 18.07.2016 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय


(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग सचिवालय, जयपुर।
4. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त राशि के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित कराने का श्रम करावें।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान, जिला.....।
7. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त राजस्थान, जिला.....।
8. कोषाधिकारी जिला कोष कार्यालय, राजस्थान, समस्त।
9. एसीपी मुख्यालय को वेबसाइट पर डालने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।



(राजेन्द्र सिंह तंबर)

संयुक्त निदेशक, भामाशाह